


## FORM No- III

फर्द अहकाम

(नियम 26 )

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट खैरथल-तिजारा मुकाम  
खैरथल-तिजारा उनवान विकास अधिकार मुण्डावर बनाम ग्राम पंचायत मुण्डावर  
किस्म- निगरानी मुकदमा नम्बर 13/07/2025 दा. दि. 30.01.2025

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<u>08/10/2025</u>	<p>आज दिनांक पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित है। उनवानी प्रकरण में बहस सुनी जाकर वास्ते आदेश हेतु नियत की गयी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। निगरानीकार द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत मुण्डावर के आदेश दिनांक 22.09.2014 जिसके द्वारा गैरसायल संख्या 1 ने गैरसायल संख्या 2 को पट्टा संख्या 11 दिनांक 27.10.2014 जारी किया है, को निरस्त किये जाने हेतु पेश की गयी है। उनवानी प्रकरण में थाना मुण्डावर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 343/2015 धारा 166, 167, 420, 120B भारतीय दण्ड संहिता दर्ज है। जिसके तहत प्रकरण माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर द्वारा स्थगन आदेश प्रदान किया हुआ है, जिसके फलस्वरूप उनवानी प्रकरण में बहस सुनी जाकर विधिवत निस्तारण किया जाना न्यायोचित नहीं है। यदि न्यायालय हाजा द्वारा उनवानी प्रकरण का निस्तारण किया जाता है, तो माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर के आदेशों की अवहेलना होगी साथ ही थाना मुण्डावर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 343/2015 धारा 166, 167, 420, 120B भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे के निर्णय पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उनवानी प्रकरण अन्य माननीय न्यायालयों/स्थगन आदेश होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण निस्तारण/निर्णय जाना न्यायोचित नहीं है। तब तक माननीय न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों का अन्तिम निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक उनवानी प्रकरण में कार्यवाही को स्थगित किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर के निर्णय बाद पत्रावली पुनः नम्बर पर ली जावे। पत्रावली फौसल शुमार हो। नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"> जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा</p>	